न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 061/2018

1. गुरनूर सिंह पुत्र श्री अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. अमरजीत सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. श्रीमती सुखजिन्द्र कौर पत्नी श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. सिमरनजीत कौर पत्नी श्री अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. खुशमन कौर पुत्री श्री अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता	वादी
2. श्री मुकेश सिन्धी अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1 ता 4
3. पैरोकार राज	प्रतिवादी संख्या 5

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 21.05.2018

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 5 एल.एल.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 4/4 का मुरब्बा नम्बर 7, 14 व 19 की कुल 8.538 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व इसी चक 5 एल.एन.पी. के खाता संख्या 3/51 के मुरब्बा नम्बर 7 की 1.646 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से व इसी चक 5 एल.एन.पी. के खाता संख्या 3/51 का मुरब्बा नम्बर 7 की 1.390 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादिया संख्या 2 के नाम से दर्ज कागजात माल है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता, प्रतिवादी संख्या 2 दादी, प्रतिवादी संख्या 3 माता व प्रतिवादी संख्या 4 वादी की बहिन हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है जो कि प्रतिवादीगण को विरासतन प्राप्त हुई है तथा कुछ भूमि विरासत प्राप्त सम्पत्ति की आय से अर्जित की हुई है। जो कि जद्दी जायदाद की परिभाषा में आती है।

इस प्रकार उक्त समस्त सम्पत्ति वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है जो कि जद्दी जायदाद होने के कारण इसमें वादी का जन्म से हक बनता है एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 का भी हक बनता है। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 का वादी से बहुत स्नेह व लगाव है तथा उन्होने अपना हिस्सा वादी को देने का कहा हुआ है।

लगातार 2

वादी को घरू बंटवारा के अनुसार चक 5 एल.एन.पी. का खाता संख्या 4/4 का मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 1 ता 8 कुल 2.024 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्राप्त हुई है तथा उक्त भूमि में काश्त कर रहा है तथा प्रतिवादीगण के साथ वादी का मुश्तरका कब्जा चला आ रहा है, प्रतिवादीगण द्वारा वादी को कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से बंटवारा तुम्हारे नाम करवा देगें।

कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि वह वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 01.02.2018 को प्रतिवादीगण ने वादी को उसके हिस्से की भूमि देने से इन्कार कर दिया है तथा उन्होने वादी को धमकी दी है कि तुम्हे कृषि भूमि नही देंगे तुमने जो करना है, कर लो। इस प्रकार प्रतिवादीगण वादी को हक व न्याय नही देना चाहते है। यही वाद कारण है।

उक्त हालातों मे उक्त जददी जायदाद में से वादी अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

1. यह कि वादी को चक 5 एल.एन.पी. का खाता संख्या 4/4 का मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 1 ता 8 की कुल 2.024 हैक्टर नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 21.05.2018 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री मुकेश सिन्धी अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि इस प्रकरण में लोक अदालत की भावना से गांव के मौजूज व्यक्तियों ने वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है तथा पंचायत द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा करवा दिया है तथा बंटवारा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से घरू बंटवारा अनुसार भूमि प्राप्त हुई है :–

1. वादी गुरनूर सिंह पुत्र श्री अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का हिस्सा :– चक 5 एल.एल.पी. तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 4/4 का मुरब्बा नम्बर 14 का किला नम्बर 1 ता 4 की 1.012 हैक्टर, 5, 6 की 0.456, 7/.253, 8/.253, 9/0.050 कुल 2.024 हैक्टर नहरी भूमि।
2. प्रतिवादी संख्या 1 अमरजीत सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एल. एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का हिस्सा :– चक 5 एल.एल.पी. का खाता संख्या 4/4 का मुरब्बा नम्बर 7 की 1.455 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 14 का किला नम्बर 17/0. 188, 18 से 24 की 1.771 हैक्टर, 25/0.228 कुल 2.187 हैक्टर नहरी भूमि, मुरब्बा नम्बर 19 की 0.883 हैक्टर नहरी कुल 4.525 हैक्टर नहरी भूमि व खाता संख्या 3/51 के मुरब्बा नम्बर 7 का किला नम्बर 1 ता 9 की 2.277 हैक्टर कुल 6.802 हैक्टर कृषि भूमि।

लगातार 3

3. प्रतिवादिया संख्या 2 श्रीमती सुखजिन्द्र कौर पत्नी श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का हिस्सा :– चक 5 एल.एल.पी. का खाता संख्या 3/51 के मुरब्बा नम्बर 7 का किला नम्बर 10, 14, 15 की 0.759 हैक्टर कृषि भूमि।
4. प्रतिवादिया संख्या 3 सिमरनजीत कौर पत्नी श्री अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का हिस्सा :– चक 5 एल.एल.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 4/4 का मुरब्बा नम्बर 14 का किला नम्बर 9/0.203, 10 से 14 की 1.265 हैक्टर 15, 16 की 0.456 हैक्टर, 17/0.065 कुल 1.989 हैक्टर नहरी भूमि।

वादी एवं प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह राजीनामा किया है। प्रतिवादिया संख्या 4 खुशमन कौर अपनी स्वेच्छा वा सहमति से उक्त भूमि में से अपने हिस्सा का हक परित्याग करती है तथा उक्त भूमि में से कोई हक वा हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं। अतः उक्त वर्णित अनुसार राजस्व रिकार्ड में अलग दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान को कोई उजर वा एतराज ना होगा।

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय आवेदित है।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किये जानें पर पाया कि चक 5 एल.एल.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 4/4 का मुरब्बा नम्बर 7, 14 व 19 की कुल 8.538 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व इसी चक 5 एल.एन.पी. के खाता संख्या 3/51 के मुरब्बा नम्बर 7 की 1.646 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से व इसी चक 5 एल.एन.पी. के खाता संख्या 3/51 का मुरब्बा नम्बर 7 की 1.390 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादिया संख्या 2 के नाम से दर्ज कागजात माल है, जो विरास्तन प्राप्त खातेदारी भूमि होनें के कारण तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वादी गुरनूर सिंह को चक 5 एल.एल.पी. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 4/4 में 2.024 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अमरजीत सिंह को खाता संख्या 4/4 में 4.525 हैक्टर भूमि व खाता संख्या 3/51 में 2.277 हैक्टर कुल 6.802 हैक्टर भूमि प्रतिवादिया संख्या 2 श्रीमती सुखजिन्द्र कौर को चक 5 एल.एल.पी. के खाता संख्या 3/51 की 0.759 हैक्टर कृषि भूमि तथा प्रतिवादिया संख्या 3 सिमरनजीत कौर को चक 5 एल.एल.पी. के खाता संख्या 4/4 की 1.989 हैक्टर नहरी भूमि खातेदार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत उभयपक्ष की खातेदारी भूमि का विभाजन राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादी गुरनूर सिंह पुत्र श्री अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का हिस्सा के हक हिस्सा की भूमि :–

क्र. सं.	चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1.	5 एल. एल. पी.	4/4	14	1/.253, 2/.253, 3/.253, 4/.253, 5/.228, 6/.228, 7/.253, 8/.253, 9/.050	2.024 हैक्टर

2. प्रतिवादी संख्या 1 अमरजीत सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

क्र. सं.	चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1.	5 एल. एल. पी.	4/4	7	11 ता 21/2 की 1.455 हैक्टर	1.455 हैक्टर
			14	17/0.188, 18 से 24 की 1.771 हैक्टर, 25/0.228	2.187 हैक्टर
			19	2/3 की 0.064, 3/.228, 4/1 की 0.033, 7/1 की 0.033, 8/.253, 9/3 की 0.101, 12/3 की 0.025, 13/1 की 0.113, 14/1 की 0.033	0.883 हैक्टर
		3/51	7	1 ता 9	2.277 हैक्टर
कुल भूमि					6.802 हैक्टर

3. प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती सुखजिन्द्र कौर पत्नी श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

क्र. सं.	चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1.	5 एल. एल. पी.	3/51	7	10/.253, 14/.253, 15/.253	0.759 हैक्टर

4. प्रतिवादी संख्या 3 सिमरनजीत कौर पत्नी श्री अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

क्र. सं.	चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1.	5 एल. एल. पी.	4/4	14	9/0.203, 10 से 14 की 1.265 हैक्टर 15/.228, 16/.228, 17/0.065	1.989 हैक्टर

लगातार 5

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 21.05.2018 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत 4 एम. एल. के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर